

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 19 / 1-12(20)

देहरादून दिनांक, 29 जून, 2019

पदोन्नति/तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 913/1-12(20) दिनांक 19-12-202018 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 20-12-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) देहरादून	प्र०व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
2	श्री दिनेश चन्द्र आर्य	अ०प्र०व०सं० नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून	प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) देहरादून
3	श्री गजेन्द्र सिंह रावत	प्र०व० टॉस वन प्रभाग, पुरोला	उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला
4	श्री रवीन्द्र सिंह राणा	वन संरक्षक, यमुना वृत्त देहरादून	वन संरक्षक, यमुना वृत्त देहरादून
5	श्री सोहन लाल कोठरी	प्र०व०सं० उत्तराखण्ड, देहरादून	प्र०व०सं० उत्तराखण्ड, देहरादून

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (व०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

3. संबंधित कार्मिक दिनांक 10-07-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. स्थानान्तरण की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्त हेतु आदेश जारी किया गया हो।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 19 (1)/1-12(20) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश में अंकित समस्त अधिकारी/कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।